क्रम-संख्या–269

रजिस्ट्रेशन नं०–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 16 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 25, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य सम्पति विभाग

(राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1)

———————

संख्या ई–5094 / बत्तीस-1–2020-10-2020

लखनऊ 16 दिसम्बर, 2020

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–78

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह ''क'' सेवा नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह ''क'' सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह ''क'' सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नये नियम का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह 'क' सेवा नियमावली, 1998 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में, नियम–3 में उपनियम (क) के पश्चात्, नया उपनियम–3 (कक) और उपनियम (च) के पश्चात् नया उपनियम 3(चच) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

3(कक) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(चच) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

नियम–5 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सेवा में मुख्य व्यवस्थाधिकारी (ज्येष्ठ श्रेणी) के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य व्यवस्था अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।	सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :– **1–मुख्य व्यवस्था अधिकारी** सेवा में मुख्य व्यवस्था अधिकारी के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त व्यवस्था अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को व्यवस्था अधिकारी के रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जायेगी। **2–मुख्य व्यवस्था अधिकारी (ज्येष्ठ श्रेणी)** सेवा में मुख्य व्यवस्था अधिकारी (ज्येष्ठ श्रेणी) के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य व्यवस्था अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को मुख्य व्यवस्था अधिकारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

नियम–10 का प्रतिस्थापन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय: परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।	(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो, उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है,	(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हों, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

परिशिष्ट का प्रतिस्थापन

5—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दी गई विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ—2 में दी गई परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात् :—

स्तम्भ—1

विद्यमान परिशिष्ट

[नियम—4(2) एवं नियम—13(2)] देखिये

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	योग	
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य व्यवस्था अधिकारी (ज्येष्ठ श्रेणी)	—	01	01	रु0 3000—100—3500—125—4500

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

[नियम—4(2) एवं नियम—13(2)] देखिये

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	योग	
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य व्यवस्था अधिकारी	06	—	06	वेतन मैट्रिक्स लेवल—11 रु0 67,700—2,08,700
2	मुख्य व्यवस्था अधिकारी (ज्येष्ठ श्रेणी)	——	01	01	वेतन मैट्रिक्स लेवल—12 रु0 78,800—2,09,200

आज्ञा से,

एस0 पी0 गोयल,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.E- 5094/XXXII-1-2020-10-2020 Dated December 16, 2020:

No. E- 5094 / XXXII -1-2020-10-2020

Dated Lucknow December 16, 2020

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Rajya Sampatti Vibhag Group "A" Service Rules, 1998:-

THE UTTAR PRADESH RAJYA SAMPATTI VIBHAG GROUP "A" SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and Commencement

1- (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Rajya Sampatti Vibhag Group "A" Service (First Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force at once.

Insertion of new rule

2- In the Uttar Pradesh Rajya Sampatti Vibhag Group 'A' Service Rules 1998, hereinafter referred to as the said rules, in rule 3, after sub rule(a), new sub-rule 3(aa) and after sub-rule(f) new sub-rule 3(ff) shall be *inserted* namely :-

3(aa) "Act" means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act 1994;

(ff) "Other backword classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act as amended from time to time;

Substitution of rule 5

3-In the said rules, the rule 5, set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be *substituted,* namely:

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as here by substituted*
Recruitment to the post of Chief Management Officer (Senior Grade) in the service shall be made by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Chief Management Officers who have completed five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.	Recruitment to the various categories of posts in service shall be made from the following sources :- **1-Chief Management Officer** Recruitment to the post of Chief Management Officer in the service shall be made by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Management Officers who have completed seven years service, as Management Officer, on the first day of the year of recruitment. **2-Chief Management Officer (Senior Grade)** Recruitment to the post of Chief Management Officer (Senior Grade) in the service shall be made by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Chief Management Officers who have completed five years service, as Chief Management Officers, on the first day of the year of recruitment.

Substitution of rule 10

4-In the said rules, for existing the rule 10, set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted,* namely :-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as here by substituted*
(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.	(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time.
(2) The appointing authority may, for reason to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up which the extension is granted: Provided that, save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond two years.	(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities may be reverted to his substantive post.	(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.
(4) A probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.	(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre of the service or any other equivalent or higher post, to be taken in to account for the purpose of computing the period of probation.
(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.	

Substitution of Appendix

5-In the said rules, for the existing Appendix set out in Column 1 below, the Appendix as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:

Column 1

Existing Appendix

[See Rules 4(2)& 13(2)]

S.No.	Name of Post	Number of Posts			Pay Scale
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Chief Management Officer (Senior Grade)	--	01	01	Rs. 3000-100-3500-125-4500

Column 2

Appendix as hereby substituted

[See Rules 4(2) & 13(2)]

S.No.	Name of Post	Number of Posts			Pay Scale
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Chief Management Officer	06	--	06	Pay Matrix Level-11 Rs. 67,700-2,08,700
2	Chief Management Officer (Senior Grade)	--	01	01	Pay Matrix Level-12 Rs. 78,800-2,09,200

By order,
S.P. GOYAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–एल0 512 राजपत्र (1075)–18–12–2020–599 प्रतियां (कम्प्यूटर)।
पी0एस0यू0पी0–एल0 4 सा0 राज्य सम्पत्ति (1076)–18–12–2020–500 प्रतियां (कम्प्यूटर)।